न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 92/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सोनाराम पुत्र रामाराम निवासी–सउओं की ढाणी, भूरटिया, तहसील व जिला बाडमेर।		1. उम्मेदसिंह पुत्र प्रतापसिंह 2. खीवराज पुत्र प्रतापसिंह 3. झीमों कंवर पत्नि प्रतापसिंह निवासी–बुलो की ढाणी, साजीाडा, तहसील, शिव व जिला बाडमेर वगैराह कुल 15 रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 28.06.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व प्रा0पत्र संख्या 66/2021 अनवान उम्मेदसिंह वगैराह बनाम बनाम दीपसिंह वगैराह कुल 15 रेस्पोडेन्टस में पारित किया गया।

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 93/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. रामाराम पुत्र तुलछाराम निवासी–सउओं की ढाणी, भूरटिया, तहसील व जिला बाडमेर।		1. उम्मेदसिंह पुत्र प्रतापसिंह 2. खीवराज पुत्र प्रतापसिंह 3. झीमों कंवर पत्नि प्रतापसिंह निवासी–बुलो की ढाणी, साजी ताडा, तहसील, शिव व जिला बाडमेर वगैराह कुल 15 रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 28.06.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व प्रा0पत्र संख्या 66/2021 अनवान उम्मेदसिंह वगैराह बनाम दीपसिंह वगैराह कुल 15 रेस्पोडेन्टस में पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री अनिश अहमद, अधिवक्ता दोनों अपीलों में अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 16 अगस्त,2021

1. उपरोक्त दोनों अपील प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2021 के विरूद्व ये अलग–अलग दो अपीले प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण रहे है एवं सभी

16/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

वर्तमान रेस्पोडेन्टस प्रार्थीगण रहे है। ऐसे में अपील प्रकरण एक समान होने एवं पक्षकारान एक समान होने से दोनों अपील प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अपील निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक अपील में रखी जावें।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थीगण के द्वारा की गई बहस सुनी।

3. दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने **अपील संख्या 92/2021** के बाबत मुख्य रूप से यह कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि उनकी ग्राम साजीतडा के ख0 सं0 136 रकबा 39.05 बीघा, एवं ख0सं0 460/56 रकबा 5.15 बीघा ग्राम बूलो की ढाणी, तहसील शिव उनके स्वामित्व वाली भूमि आई हुई है। जिसका वे नेखमबन्दी करवाना चाहते है। रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया जबकि ख0सं0 136 के पडौस के खसरा संख्या 406/128 का अपीलान्ट सहखातेदार है। इस कारण से अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित/प्रभावित होने से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यदि अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जाता है तो सारे वास्तविक तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट कर दिये जाते, ऐसी कार्यवाही रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की बदनियती का स्पष्ट प्रमाण है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलान्ट के न सिर्फ अधिकार ही प्रमाणित होगें अपितू वह उसके हितों पर विपरित प्रभाव डालेगा जो नियमों के सर्वथा विपरित है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही एवं विधि अनुसार निस्तारित नहीं किया है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 10.6.21 व 14.6.2021 में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये हुए है कि राजस्व अदालतों में विचाराधीन प्रकरणो/अपीलों में एक्सपार्टी/डी.डी. एवं पक्षकार या अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किये जायेगें। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में पूर्णतया नजरअंदाज कर विवादित आदेश दिनांक 28.6.2021 को पारित किया है वो खारिज योग्य है।

5. इसी प्रकार **राजस्व अपील संख्या 93/2021** के बाबत मुख्य रूप से यह कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि उनकी ग्राम साजीतडा के ख0 सं0 136 रकबा 39.05 बीघा, एवं ख0सं0 460/56 रकबा 5.15 बीघा ग्राम बूलो की ढाणी, तहसील शिव उनके स्वामित्व वाली भूमि आई हुई है। जिसका वे नेखमबन्दी करवाना चाहते है। रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को जारी कराये गये नोटिस को कभी प्राप्त ही नहीं हुए क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने जानबूझकर बदनियतीपूर्वक अपीलान्ट के वास्तविक व सही पते अनुसार अंकित नहीं करवाये। ऐसे में अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही एवं विधि अनुसार निस्तारित नहीं किया है।

6. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय ने गलत पते पर भेजे गये पोस्टल नोटिस व उनकी ऑनलाईन प्राप्ति रिपोर्ट के आधार

16/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पर एकपक्षीय कार्यवाही रेस्पो0 के पक्ष में करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 10.6.21 व 14.6.2021 में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये हुए है कि राजस्व अदालतों में विचाराधीन प्रकरणो/अपीलों एक्सपार्टी/डी.डी. एवं पक्षकार या अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किये जायेगें। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में पूर्णतया नजरअंदाज कर विवादित आदेश दिनांक 28.6.2021 को पारित किया है वो खारिज योग्य है।

7. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत पेश कर ग्राम साजीतडा के ख0 सं0 136 रकबा 39.05 बीघा, एवं ख0सं0 460/56 रकबा 5.15 बीघा ग्राम बूलो की ढाणी, तहसील शिव की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु पेश किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर अपीलान्ट के उक्त खसरान भूमि की सीमाज्ञान करवाने व उसके उपरान्त पक्के नेखम सीपित करने के निर्देश पारित किये है।

8. उपरोक्त अपीलों के दोनों अपीलान्टस ने उक्त अपीलाधीन आदेश बाबत प्रमुख आपत्ति उठाई है कि उनको आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने, प्रत्युतर प्रस्तुत करने एवं पर्याप्त तामीली कार्यवाही विधि अनुरूप पूर्ण नहीं करवाई गई एवं एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जबकि रेस्पोडेन्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया जबकि ख0सं0 136 के पडौस के खसरा संख्या 406/128 का अपीलान्ट सहखातेदार है। इसी प्रकार दूसरे अपीलान्ट को उनके सही पते पर पोस्टल नोटिस नहीं भेज अन्य पते पर भेजे गये नोटिस को ऑनलाईन नोटिस तामीली मान अनपुस्थित मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकार को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक होता है साथ ही राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त परिपत्रों में प्रदत्त निर्देशों की पालना का भी अपीलाधीन प्रकरण में अभाव पाया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रकरण में दोनों पक्षकारान को सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने तदुपरान्त पुनः यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2021 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें यह निर्देषित किया जाता है कि वे उपरोक्त अपील में वर्णित खसरान भूमि सम्बन्धी प्रकरण में प्रभावित सहखातेदारान/दोनों पक्षकारान को पुनः सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने तदुपरान्त नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक(6.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/8/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर